डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 117/2025

अनवान : —

1. सोमपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र तनसुख जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. जोनी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. रेणु पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. सुमित्रादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र पील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 7 डीपीएन के खाता सं0 6/6 के मु0 न0 21 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 मु0 न0 22 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 3.795है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले के बजाए वादी सं0 1 सोमपाल व प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..13/5/25.. को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:09:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मिसल — 117/2025
अनवान : —

1. सोमपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र तनसुख जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. सोनी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. रेनु पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. सुमित्रादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी
श्री सुरेन्द्र गील प्रतिवादी

निर्णय

दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 7 डीपीएन के खाता सं0 5/6 के मु0 न0 21 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 मु0 न0 22 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 3.795है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही विनाय मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। संम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 7 डीपीएन वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी राजीनामा स्वीकार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:09:02 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 7 डीपीएन के खाता सं0 5/6 के मु0 न0 21 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 मु0 न0 22 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 3.795है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ—साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2, 3 व 4 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी सं0 1 के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि

प्रतिवादी सं0 4 ने राजीनामा पेश कर उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 के पक्ष में घोषणा किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की व प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की सेही गोजा चक 7 जीपीएन के खाता सं0 6/6 के मु0 न0 21 के किला न0 5, 6, 15, 16, 26 मु0 न0 22 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 3.795है0 गहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश अकेले के बजाए वादी सं0 1 सोमपाल व प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/5/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:09:02 IST
Reason: SelfAttested